न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/22/2025	2025/147	16.06.2025	03.12.2025

1.सतीश पुत्र श्री लक्ष्मण,
2.महेश पुत्र श्री लक्ष्मण,
3.निरंजन पुत्र श्री लक्ष्मण, निवासीयान ग्राम टोडा, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर (राज0)।
——अपीलांट्स

बनाम

1. तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर (राज०)।
—— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार लक्ष्मणगढ
दिनांक 20.02.2025 प्रकरण संख्या 26/2024

उपस्थितः—
01.श्री मनीष कुमावत —वकील अपीलाण्ट
02.राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 20.02.2025 प्रकरण संख्या 26/2024 जिसके द्वारा अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमित रकबे से बेदखल कर लगान स्वरूप शास्ति राशि आरोपित की गयी, से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निर्णय न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ का है जिससे अपील श्रीमान् के श्रवण योग्य है। अदालत मातहत का निर्णय दिनाक 20.02.2025 का है जो अपीलान्टान की गैरमौजूदगी में पारित किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्टान को दिनाक 18.11.2024 की पेशी हेतु नोटिस जारी किये थे। अपीलान्टान अदालत मातहत के समक्ष दिनाक 18.11.2024 को उपस्थित हो गये तथा नोटिस का जवाब व दस्तावेज पेश कर दिये। अपीलान्टान ने अदालत मातहत के पीठासीन के अधिकारी महोदय से प्रकरण मे आगामी तारीख पेशी बाबत पूछा तो पीठासीन अधिकारी महोदय ने बताया कि प्रकरण में अभी निर्णय लिखाने मे समय लगेगा साथ ही यह भी बताया कि निर्णय से पूर्व आपको जानकारी दे दी जावेगी। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्टान की निर्णय की कोई सूचना नही दी। जिस अपीलान्ट सतीश दिनाक 20.05.2025 को अदालत मातहत के कार्यालय मे उपस्थित हुआ तथा प्रकरण की जानकारी की तो अपीलान्ट को बताया कि मुकदमे का दिनाक 20.02.2025 को निर्णय कर दिय गया था। इस प्रकार अपीलान्टान को अदालत मातहत के निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनाक 20.05.2025 को हुयी। जानकारी होने पर उसी दिनाक 20.05.2025 को नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जो नकल दिनाक 21.05.2025 को प्राप्त हो गयी। नकल लेने के बाद अन्य कागजात एकत्रित किये तथा अपील के खर्चे का इंतजाम किया। इस प्रकार जानकारी की तारीख 20.05.2025 से अपील अंदर मियाद पेश है। निर्णय दिनाक 20.02.2025 से जानकारी की तारीख 20.05.2025 तक का समय धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत कन्डोन किये जाने योग्य है। जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून व खिलाफ रिकॉर्ड है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत ने नोटिस में दर्ज आराजी राजस्व रिकॉर्ड में मूर्ति मंदिर सीताराम जी की मानते हुये अपीलान्टान को धारा 91 एल०आर० एक्ट का नोटिस दिया था। कानूनन उक्त आराजी की बाबत अदालत मातहत को धारा 91 एल०आर० एक्ट का नोटिस दिये जाने का अधिकार नहीं है। अदालत मातहत ने सभी अपीलान्टान को संयुक्त नोटिस जारी किया है। कानूनन उक्त नोटिस कानून के अनुरुप नही है तथा उक्त नोटिस के आधार पर कोई कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है। अदालत मातहत ने अपना निर्णय साइक्लो स्टाईल के रुप में तैयार किये हुये फार्म पर खाली स्थान को भरते हुये निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय कानूनन निर्णय की परिभाषा मे नही आता तथा इसी आधार पर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी पर अपीलान्टान के पूर्वज लम्बे समय से काबिज है। अपीलान्टान के पूर्वज आर०टी० एक्ट, जमीदारी बिश्वेदारी उन्मूलन के समय काबिज थे जिस स्थिति मे आराजी मे उन्हे खातेदारी हकूक प्राप्त हो गये। भू प्रबंध विभाग द्वारा आराजी का इंद्राज मूर्ति मंदिर के नाम गलत तौर पर कर दिया जिसकी बाबत अपीलान्टान के पूर्वज ने कार्यवाही की तथा प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर तक गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रकरण का निर्णय करते हुये यह आदेश दिया कि "सम्वत 2016–2020 की खेवट खतौनी मे कोलम न० 4 में मंदिर सीताराम जी महाराज बएहतमाम मुंशी पि०मु० बुद्धा ब्राह्मण पुजारी माफीदार दर्ज है तथा कोलम न० 5 मे चंदूलाल पुत्र जीताराम गैर मौरुसी दर्ज है। राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय मे उक्त इन्द्राज को पुनः रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार विवादित आराजी मूर्ति मंदिर की आराजी नही है। अपीलान्टान की ओर से अदालत मातहत के समक्ष माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की नकल जवाब के साथ पेश की थी। अदालत मातहत ने अपने निर्णय ने अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय का नाम मात्र भी उल्लेख नही किया। उक्त आराजी की बाबत अपीलान्टा की ओर से उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणढ की न्यायालय मे राजस्व वाद दायर कर रखा है। अन्य वजुहात वक्त बहस जुबानी अर्ज किये जावेंगे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर के निर्णय दिनाक 20–2–2025 को निरस्त किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे। वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस अपील के समर्थन में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की नजीरें पेश की जो निम्न प्रकार हैं– 1166 राजस्थान राज्य बनाम रामकिशन आरआरटी 2018 (2), आरआरडी 1986 पेज 544, आरआरडी 1984 पेज 283। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई। पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का टोडा की संवत 2081 की रिपोर्ट दिनांक 21.10.2024 के अनुसार सतीश, महेश एवं निरंजन पुत्रान लक्ष्मणराज कुम्हार द्वारा विवादित आराजी खसरा नं0 70 रकबा 0.5943 है0, 395 रकबा 0.3288 है0 एवं खसरा न0 397 रकबा 0.2023 है0 कुल रकबा 1.1254 है0 किस्म डहरी 2 में से 0.14 है0 में जोत लगाकर अतिक्रमण किया जाना बताया गया है। विवादित भूमि की किस्म डहरी 2 है तथा वर्तमान जमाबंदी के अनुसार उक्त आराजी खसरा न0 मंदिर मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज विराजमान हि0 पूर्ण सा0 देह0 खातेदार रिकॉर्ड दर्ज है। वकील अपीलांट द्वारा कथन किया कि विवादित आराजी पूर्व से ही हमारे बुजुर्गान की खातेदारी की आराजी रही है किन्तु अपीलांट द्वारा स्वयं या बुजुर्गान की खातेदारी के संबंध में कोई ठोस तथ्य/सबूत/दस्तावेज पेश नहीं किये, केवल जुबानी तौर पर कहने से आराजी पर खातेदारी सिद्ध नहीं होती है। पत्रावली पर आए तथ्यों के विश्लेषण से एवं पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–91 के अनुसार सरकारी भूमि, चैरिटेबल/धार्मिक माफी भूमि, देवस्थान विभाग या मंदिर की दर्ज भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही करने का प्राथमिक अधिकार तहसीलदार के पास है। अतः तहसीलदार मंदिर माफी भूमि से अतिक्रमण हटा सकता है। यह पूरी तरह विधि–सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 20.02.2025 पारित किया गया है, जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 20.02.2025 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)